शासकीय नवीन महाविद्यालय

qàvã, âkvà-§ýàÊrà (²|.ªà.)

स्थापना वर्ष : 2013-14

सूचना एवं प्रवेश विवरणिका

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE

GOVERNMENT NAVEEN COLLEGE,

PALI, DIST.- KORBA (C.G.)

Website : govtcollegepali.in, E-mail : ugcollegepali@gmail.com

मूल्य : 80/-

¡Âà§ýtâ½à§ýà

§ý.	âwwÊ½à	q™ y©uà
1.	tÑàâwùàvu §ýà qáÊ j u	1
2.	tÑàâwùàvu t q¼àu kàÂà wàv y§ýàu, âwxu ytÑ ¥w yã¹ y©uà	2
3.	âwxu ytÑ t âÂàoàáÊm yã¹à §ýL y©uà	4
4.	tÑàâwùàvuãÂà Îààyý§ýLu ¥w ¡Îààyý§ýLu ÎàÌ§ý âwwÊ½à	5
5.	²àØàwâÙà ¥w ².ªà. §ý Îààyý§ýLu tÑàâwùàvu t âwùààânuà §ý âv¥ ¡à j Ê½à-yâÑmà	6
6.	¡ÁuuÂà yroã âÂàut, qÊãÕàà yroã âÂàut, tÑàâwùàvu ZàÎààyÂà §ýà ¡âo§ýàÊ ÕàØà	7
7.	yâwoà¥ ¥w yyàoÂà	8
8.	qwÎà §ýL qàØàmà ¥w âÂàut, ¡àÊÕà½à, ¡âosàÊ	9-11
9.	Êâªàªà qáÊâÂàut	12
10.	tâÑvà £¾qã»Âà mnà uàÂà Îààx½à yroã §ýàÂàÂà	13
11.	tÑàâwùàvu t §ýàuÊm ZààÁuàq§ýà ¥w §ýt j ààÊuà §ýL y j ã	14

qáÊâÎà™ - ¡àwÀÂà Äýàt, ÎàqnqØà

शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाली
जिला कोरबा (छ.ग.)

परिचय एवं स्थल :-

छत्तीसगढ़ राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1728/ए-3-42/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 09.05.2013 आदेशानुसार पाली में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । जिसके अंतर्गत वर्तमान में शासकीय नवीन महाविद्यालय पाली जिला कोरबा (छ.ग.) का वर्तमान में संचालन आदिम जाति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाली, जिला कोरबा के भवन में किया जा रहा है ।

शासकीय महाविद्यालय पाली के लिये भवन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम -केराझरिया, प.ह.नं. 28, रा.नि.मं. व तहसील पाली जिला कोरबा में खसरा नंबर 412/1 में से 5 एकड़ भूमि आबंटित है। जिसमें महाविद्यालय भवन निर्माणाधीन है।

tÑââwùàvu t q¼àu kàÂà wàv y§ýàu, âwxu ytÑ
¥w yã¹| y©uà

कला संकाय

1. बी.ए. भाग–एक **60 सीट**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. पर्यावरण अध्ययन

स. ऐच्छिक विषय - 1. समाज शास्त्र 2. राजनीति शास्त्र 3. अर्थशास्त्र

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए. भाग–दो **60 सीट**

बी.ए. भाग-दो में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-एक में लिये गये थे ।

3. बी.ए. भाग–तीन **60 सीट**

बी.ए. भाग-तीन में वे ही विषय लेने होंगे जो बी.ए. भाग-2 में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्गत हो।

विज्ञान संकाय

1. बी.एस–सी. भाग–एक **60 सीट**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. पर्यावरण अध्ययन

स. ऐच्छिक विषय -

1. वनस्पति शास्त्र 2. प्राणिशास्त्र 3. रसायनशास्त्र।

2. बी.एस–सी. भाग–दो **60 सीट**

बी.एस.-सी. भाग-एक में लिये गये विषय ही लेना होगा।

3. बी.एस–सी. भाग–तीन **60 सीट**

बी.एस.-सी. भाग-दो में लिये गये विषय ही लेना होगा।

वाणिज्य संकाय

1. बी.काम. भाग–एक **60 सीट**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. पर्यावरण अध्ययन

स. अनिवार्य समूह - 1. वित्तीय लेखांकन एवं व्याावसायिक गणित

2. व्यवसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियमन रूप रेखा

3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम भाग–दो **60 सीट**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह - 1. निगमित लेख एवं लागत लेखांकन

2. व्यावसायिक सांख्यिकीय एवं उद्यमिता के तत्व

3. व्यवसाय प्रबंध एवं कम्पनी अधिनियम

3. बी.काम. भाग–तीन **60 सीट**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह वैकल्पिक

अनिवार्य समूह	वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)	1. वित्तीय प्रबंध
2. अप्रत्यक्ष कर	2. वित्तीय बाजार संचालन
3. प्रबंधकीय लेखांकन	3. अंकेक्षण

विषय समूह में निर्धारित सीटों की संख्या

संकाय : स्तर/कक्षा	विषय	निर्धारित सीट संख्या
कला संकाय		
स्नातक :		
बी.ए. भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	60
बी.ए. भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	60
बी.ए. भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	60
वाणिज्य संकाय		
स्नातक		
बी.काम. भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन एवं सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60
बी.काम. भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60
बी.काम. भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60
विज्ञान संकाय		
स्नातक		
बी.एस.सी. भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	60
बी.एस.सी. भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	60
बी.एस.सी. भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	60

tÑâäwùàvuãÂà Îàäy§ýLu ¥w ¡Îàäy§ýLu ÎàÌ§ý âwwÊ½à yØà 2016-17

¡Îàäy§ýLu ÎàÌ§ý

1.	सम्मिलित निधि	-	32.00
2.	महाविद्यालय विकास शुल्क	-	100.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	-	10.00
4.	छात्र संघ शुल्क	-	20.00
5.	परिचय पत्र/लाईब्रेरी कार्ड	-	20.00
6.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	-	20.00
7.	चिकित्सा शुल्क	-	5.00
10.	रेडक्रास	-	25.00
11.	वाचनालय शुल्क	-	20.00
12.	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	-	75.00
13.	शारीरिक कल्याण शुल्क	-	150.00
14.	अवधान राशि	-	60.00
15.	नामांकन शुल्क	-	100.00
16.	वि.वि. छात्र कल्याण	-	10.00
17.	युवा गतिविधि	-	2.00
18.	वि.वि. छात्र संघ शुल्क	-	2.00
19.	वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	-	20.00
20.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	-	150.00
21.	पत्रिका शुल्क	-	40.00

Îàäy§ýLu ÎàÌ§ý

1.	शिक्षण शुल्क	-	115.00
2.	प्रवेश शुल्क	-	3.00
3.	स्टेशनरी शुल्क	-	5.00
4.	प्रयोगशाला शुल्क	-	20.00
5.	जनभागीदारी शुल्क	-	250.00

ÎàÌ§ý t ²¦¹¦/áÊuàum

ÎàäyÂà §ý âÂàutàÂàyàÊ âwùàânuà §ýà ÎàÌ§ý t áÊuàum âÂàÈÂààÂàyàÊ £qv£o Ñ ñ

1. uâÀ Àà uà Àà y ¡âo§ý sà¢ ¥§ý Ñã yØà t ¡ÁuuÂàÊm Ñ, mà ²¦à¹¦ sà¢ §ýà ¡ào âÎàÕà½à ÎàÌ§ý §ýL ²¦¹¦ âtvªàã ñ
2. ¡kà/¡kkà §ý âwùànJ kââm Zàtà½à qØà ZàÐmm §ýÊÂà qÊ âÎàÕà½à ÎàÌ§ý y tQý ÊÑªà ñ
3. mmãu ¥w jmn ó½ãã §ý §ýt jààÊuà §ý qØà §ýà tàmà-âqmà §ý Îàäy§ýLu ywà §ýà Zàtà½à qØà ¥w wmÂà/¡àu Zàtà½à qØà ZàÐmm â§ýu kàÂà qÊ âÎàÕà½à ÎàÌ§ý t qÊã ²¦¹¦ ZàÀàÂà §ýL kàuªàã ñ

²|àØàwâ¾m

tÑàâwùàvu t ytÐm Zà§ýàÊ §ýL ²|àØàwâÙàuà £qvÆo Ñ, kà â§ý Zà¾u§ý yØà t Àu Ñàªàã à

1. ¡Âà. kààm/ ¡Âà. kÂàkààm ¥w âq²|»|à wªà §ý ²|àØà-²|àØàà ¡à §ýà âÂàutàÂàyàÊ tâ¹|§ýàÙàÊ ²|àØàwâÙà §ýL qàØàmà Ñàªààñ Âàà¹| - rã.qã.¥v. ¥w tâ¹|§ýàÙàÊ t y â§ýyã ¥§ý §ýL ²|àØàwâÙà §ýL qàØàmà Ñàªàà ñ
2. ²|.ªà. Îààyà §ý âÂàÀÎààÂàyàÊ âw§ývàªà âwùàânuà §ýà ²|àØàwâÙà ZààÅm Ñàªàà ñ âky§ý âvu ¡àwÎu§ý Zàtà½à qØà Àu Ñàªàà ñ
3. ¡Âà. kààm/ ¡Âà. kÂàkààm ¥w âq²|»|à wªà §ý âv¥ Îààyà Àà ¡àÂàvà¢Àà ²|àØàwâÙà §ýL ÎàÛý ¡àm yØà 2012-13 t §ýÊ Àã Ñ ñ ¢y§ý mÑm Ñã £Qý wªà §ý ²|àØà-²|àØàà ¡à §ýà ¡àÂàvà¢Àà Äýàt sÊ§ýÊ §ýàuàvu t kt à §ýÊÀàà Ñàªàà ñ

tÑàâwùàvu t Zàwîà ZààÅm kà âwùànJ âky ²|àØàwâÙà §ýL qàØàmà Êhmà Ñ, §ýàuàvu y âÀàoààÊm ¡àwÀÀà qØà qàÅm §ýÊ ¡àwÎu§ý ZààmqÂm ¥w Zàtà½à qØà yâÑm kvà¢ tÃÑ t (¡nwà âÀàoààÊm ¡Àu âmân qÊ) kt à §ýÊ màâ§ý ytu qÊ £ÀÑ ²|àØàwâÙà ZàÀàÀà §ýL kà y§ý ñ

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये। छात्राओं के लिए सलवार, कुर्ता, ओढ़नी शालीन वेशभूषा होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यहवार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनकों स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

yâwoà¥ ¥w yyàoÂà

1. tÑàâwùàvu §ý qÐm§ýàvu §ý âvu âwâsÂÂàâwxuà §ýL qÐm§ý §ýu §ýã ªà¢ Ñ ñ
2. ÐÂààm§ý §ýÕàà §ý âwùàânuà §ýà âÂàoàáÊm y©uà t qÐm§ýà §ý âÂàªàtÂà §ýL yâwoà Ñàªàã ñ
3. âwùàânuà §ýà 15 âÀÂà t ¥§ý ràÊ Àà qÐm§ý qÐm§ýàvu y âÂàªàâtm §ýL kàuªàã ñ qÐm§ý âÂàoàáÊm ytu qÊ wàqy ÂàÑã â§ýu kàÂà qÊ 1 Ûý. ZàâmâÀÂà §ýL ÀÊ y À½»¦ Àu Ñàªàà ñ qÐm§ý ÕàâmªàÐm ÑàÂà qÊ âÂàutàÂàyàÊ ÊàâÎà Àu Ñàªàã ñ

¹¦ãq - âwùàânuà §ýà tÑàâwùàvu õâÊà ZàÀÙà wmtàÂà yØà §ýà qáÊ j u qØà (¡à¢ §ýà»¦) àÀhàÂà qÊ qÐm§ý âÂàªàâtm §ýL kàwªàã ñ qÊãÕàà ¡àÊs ÑàÂà §ý qw ytÐm qÐm§ý ktà §ýÊ§ý ¡Àu Zàtà½à qØà vÂàà ¡âÂàwàu Ñàªàà ñ

r§ý r§ý :-

²¦ÙààyªàºÎààyÂà §ýL yÑàumà y ¡.k.kà. §ý âwùàânuà §ý âvu tÑàâwùàvu t r§ý r§ý uàkÂàà y jàâvm Ññ kÑà y âwùàânuà §ýà ¥§ý yq½à yØà §ý âvu âÂà:ÎàÌ§ý qÐm§ý âÂàªàâtm §ýL kàmã Ñ ñ âwùàânuà §ýà ¢y Ñm ªànàvu y ¡àwÎu§ý ZàqØà ZààÃm §ýÊ sÊÂàà q»¦mà Ñ ¢y Ñm kâàm Zàtà½à qØà sã ZàÐmm §ýÊÂàà ¡àwÎu§ý Ñ ñ qÐm§ý hà kàÂà, ÕààmªàÐm ÑàÂà qÊ âwùànJ §ýà £y§ýL qâm §ýÊÂàà ¡àwÎu§ý Ñ ñ

qáÊ j u qØà:-

tÑàâwùàvu t ZàwÎà ZààÃm §ýÊÂà §ý m¾§ýàv ràÀ ¡qÂàà qáÊ j u qØà yrâom Zàsàà y ¡âÂàwàum: ZààÃm §ýÊ ¡àÊ £y ÑtÎàà oàÊ½à §ýÊ ñ qáÊ j u qØà hà kàÂà qÊ £y§ýL âvâhm y j Âàà À ¡àÊ nàÂà t áÊqà¹¦ §ýÊ ñ áÊqà¹¦ §ýL Zààm ¡àÊ 20/- Ûýqu ÎàÌ§ý ÀÂà qÊ Ñã ÀyÊà qáÊ j u qØà kàÊã Ñàªàà ñ tÑàâwùàvu qáÊyÊ t ¡àuàâkm âwâwo ªàâmâwâouà/§ýàu§ýtà ¡wyÊà qÊ Zà¾u§ý âwùànJ §ýà ¡âÂàwàu Ûýq y qáÊ j u qØà oàÊ½à §ýÊÂàà Ñàªàà ñ

yàu§ýv Ð¹½»¦ :-

tÑàâwùàvu qáÊyÊ t yàu§ýv Ð¹½»¦ §ýL ÍuwÐnà Ñ ñ Zà¾u§ý âwùànJ §ýà yàu§ýv Ð¹½»¦ t Ñã yàu§ýv ÊhÂàà ¡âÂàwàu Ñ ñ ¡Âu ÐnàÂà qÊ yàu§ýv ÊhÂàà tÑàâwùàvu ¡ÂàÎààyÂà §ý âwqÊãm §ýàu tàÂàà kàwªàà ¥w yàu§ýv ªàt / j àÊã ÑàÂà qÊ tÑàâwùàvu §ýL âkÈtÀàÊã ÂàÑã Ñàªàã ñ yàu§ýv Ð¹½»¦ t yàu§ývà §ýL Êhwàvã ¥w ÊhÊhàw Ñm qÊ yØà §ý âvu ¥§ý §ýt j àÊã âÂàoàáÊm Ñàªàà £yy yÀÍuwÑàÊ §ýÊ ñ Zà¾u§ý yàu§ýv/tà¹¦Ê yàu§ýv/tàq»¦, Ð§ý¹¦Ê ¡ààÀ t màvà ÑàÂàà ¡âÂàwàu Ñ ñ

£q0Ðnâm :-

Zà¾u§ý âwùànJ §ýL Zà¾u§ý âwxu t 75 ZààmÎàm £q0Ðnâm ¡âÂàwàu Ñ ñ ¢y§ý ¡sàw t wÑ âwÎwâwùàvuãÂà qÊãÕàà ¡à y wâ j m Ñà y§ýmà Ñ ñ £q0Ðnâm §ýt ÑàÂà qÊ ²¦àØâwâÙà y sã wâ j m â§ýuà kà y§ýmà Ñ ñ ytu-ytu qÊ ¡qÂàã £q0Ðnâm §ý ¡à§ý»¦à §ýL kàÂà§ýàÊã ZààÃm §ýÊÂàà Zà¾u§ý âwùànJ §ýà ÍuâQýªàm £ÙàÊÀààu¾w Ñàªàà ñ m¾yroã kàÂà§ýàÊã £ÀÑ ZààÁuàq§ýà mnà âwsàªààÁuÕàà y yq§ý yàoêÊ ZààÃm §ýÊm ÊÑÂàà j ààÑu ñ uÑ kàÂà§ýàÊã ytu-ytu qÊ y j Âàà q¹¦v qÊ Àã kàuªàã ñ âkÂà âwùàânuà §ýL £q0Ðnâm 15 ÂàwÈrÊ m§ý 50 ZààmÎàm y §ýt Ñàªàã £Âà§ý qÊãÕàà §ý ¡àwÀÂà âwÎwâwùàvu §ýà ¡ªààxm ÂàÑã â§ýu kàuªà ñ

tÑàâwùàvu ¡àmáÊ§ý qÊãÕàà :-

âwùàânuà §ýà §ýÕàà t vã kàÂà wàvã ¡àmáÊ§ý qÊãÕàà mnà Øàtàày§ý ¥w ²tàÑã qÊãÕàà ¡à t y0Ètâvm ÑàÂàà ¡âÂàwàu Ñ ñ qw ¡Âàtâm ¥w quàÃm §ýàÊ½à §ý ârÂàà qÊãÕàà ¡à t ¡Âàq0Ðnâm À½»¦Âààu Ñàªàã ñ

Ê»¦§ýày :-

tÑàâwùàvu t Ê»¦§ýày §ýL ¢§ýà¢ yâ§ýu Ñ ñ Zà¾u§ý âwùànJ §ýà Ê»¦§ýày ¢§ýà¢ §ýà yÀÐu ÑàÂàà ¡âÂàwàu Ñ ñ âky§ý ¡mªàm âwùànJ wÕààÊàq½à, quàwÊ½à yÊÕà½à, Ðw°²¦mà, ÊQýÀàÂà, Zààn â t§ý £q j àÊ, ÐwàÐ¿u qÊãÕà½à ¥w ytuàÂà§ýv ytàk §ýà §ýàu §ýÊm Ñ ñ kÛýÊm tÀ âwùàânuà §ýà ¡ààn§ý yÑàumà sã Àã kàmã Ñ ñ

hv§ýÀ :-

£qv£o yyàoÂàà ¡àÊ ²¦àØàà §ý Ûýâ j §ý ¡ÂàyàÊ ¢»¦àÊ ¡àÊ ¡à£¹¦»¦àÊ ªà t §ýL yâwoà §ýà Zààwoàªà Ñàªàà ñ

¹¦âq:-

1. qáÊ j u qØà ¡âÂàwàum- oàÊ½à §ýÊ, uÑ ¡àq§ýà ¥§ý ¡°²¦ âwùànJ §ýL qÑ j àÂà Àmà Ñ ñ
2. qáÊyÊ t tàrà¢v rÀ Êh ñ qàÂà, ª¹¦§ýà, rã»¦ã, âyªàÊ¹¦ ¥w ªà»¦àh Zàâmrâom Ñ ñ
3. yq½à qáÊyÊ ¥§ý ¡à¾t ¡ÂàÎààâym ÍuwÐnà y y j ââvm Ñ ñ ZàwÎà ZààÅm §ýÊm Ñã ¡àq £y ÍuwÐnà §ýà tÑ¾wq½à ¡ªà rÂà kàm Ññ

ÍuwÐnà y yÑuàªà §ýÊ, yâwoà §ýà £quàªà §ýÊ ñ

--00--

ZàwÎà §ýL qàØàmà ¥w âÂàut

²¦Ùààyªà¼¦ Îàà yÂà £° j âÎàÕàà âwsàªà §ý tàªàÀÎà§ý âyÁÀàmà §ý ¡ÂàyàÊ ¡àwÀ§ý tÑàâwùàvu t ZàwÎà §ýL qàØàmà Ñ ñ ZàwÎà §ýL qàØàmà §ýà ¡àoàÊ ª½ààÂà§ý t Ñ ñ

¡àÊÕà½à :- ²¦Ùààyªà¼¦ Îàà yÂà §ýL ¡àÊÕà½à Âàââm ¥w tàªàÀÎà§ý âyÁÀàmà §ý ¡ÂàyàÊ ñ

:: ¡àÊÕà½à ::

1. छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :–

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड क. ख. तथा ग के अधीन आरक्षित सिटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

2. (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ,ख. ,तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य

विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 2.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

4. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

5. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

6. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

7 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

8 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

:: ¡âosàÊ ::

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए–सर्टिफिकेट	– 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	– 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	– 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	– 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	– 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	– 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	– 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/ चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय के लिये वाले विद्यार्थी को	– 15 प्रतिशत

2. आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

3. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर – 5 प्रतिशत

4. खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित स्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीयविश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

5. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइसएवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को – 10 प्रतिशत

6. छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को – 12 प्रतिशत

7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

8 विशेष प्रोत्साहन :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड एशियक स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकीं उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीयएवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

––00––

²¦Ùàãyªà¼¦, Îààyàà õàÊà vàªà ÂàwãÂà ¡âoâÂàut

²¦Ùàãyªà¼¦ ÎàÕàâ½à§ý yÐnà ¡à t¦ Zàmà»¦Âàà (Êâªàªà) §ýà Zàâmxo ¡âoâÂàut, 2001

§ýtà§ý 27 yÂà 2001

(âÀÂàà§ý 17 kÂàwÊã, 2002 §ýà Êà³uqàv §ýL ¡Âà tâm ZààÂm Ñ¢, ¡Âà tâm ²¦Ùàãyªà¼¦ ÊàkqØà (¡yàoàÊ½à) t âÀÂàà§ý 17 kÂàwÊã 2002 §ýà Zànt ràÊ Zà§ýààÎàm §ýL ªà¢ ñ)

Êà³u t¦ ÎàÕàâ½à§ý yÐnà ¡à t¦ Êâªàªà mnà £yy yrâom tàtvà ¡àÊ ¡Âàxâªà§ý âwxuà §ý âÂàwàÊ½à Ñm ¡âoâÂàutñ

sàÊm ªà½àÊà³u §ý ràwÂàw wx t ²¦Ùàãyªà¼¦ §ýL âwoàÂàysà õàÊà âÂàÈÂààvâhm Ûýq t uÑ ¡âoâÂàuâtm Ñà ¡nàm :

1. yâÕàÃm Âàà t, âwÐmàÊ ¡àÊ ZààÊs - (1) ¢y ¡âoâÂàut õàÊà yâÕàÃm Âàà t ²¦Ùàãyªà¼¦ ÎàÕàâ½à§ý yÐnàÂàà t Zàmà»¦Âàà §ýà Zàâmxo ¡âoâÂàut, 2001 Ñ ñ (2) ¢y§ýà âwÐmàÊ yq½à ²¦Ùàãyªà¼¦ t Ñàªààñ (3) uÑ ¥yã màÊãh y Zàwùà Ñàmà Ñàªàà kà Êà³u yÊ§ýàÊ ¡âoy j Âàà õàÊà âÂàum §ýÊ ñ

2. qáÊsàxà¥ - ¢y ¡âoâÂàut t, kr m§ý yÀs y ¡Âunà ¡qâÕàm Âà Ñà, -

(§ý)**''Êâªàªà''** y ¡âsZàm Ñ â§ý â§ýyã ²¦àØà §ýà tkà§ýq½à ÍuwÑàÊ y uà ¡Âu Zà§ýàÊ y £¾ZàáÊm, ràÁu uà tkrÊ §ýÊÂàà âkyy £y§ý tàÂàwãu tvuà §ýà ÑÂàÂà uà £y§ý Íuâ¨m¾w §ýà ¡qtàÂà uà £qÑày ¡âsÀâÎàm Ñàmà Ñà, uà â§ýyã âwâoq½à §ýàu §ýÊÂà y ZààwÊm §ýÊÂàà, ¡àqÊââo§ý, Ààxq½à ¡wÊào, Ààxq½à qáÊÊào, uà £y Õàâm qÑ j àÂàà, uà ¥y qÊ ¡àqÊââo§ý rv §ý Zàuàªà õàÊà uà ¥yã ¡àqÊââo§ý ot§ýL, Ààxq½à ¡wÊào, Ààxq½à qáÊÊào, Õàâm uà ¡àqÊââo§ý rv §ýà Zàuàªà §ýÊÂàà ñ

(h) **''ÎàÕàâ½à§ý yÐnà''** t ¡âsZàm Ñ Êà³u §ýL §ýà¢ sã Îààyà§ýLu ¡nwà ¡Îààyà§ýLu ÎàÕàâ½à§ý yÐnà ñ

3. **Êâªàªà §ýà qâmÊào –** â§ýyã ÎàÕàâ½à§ý yÐnà §ýà ²¦àØà uà mà Zà¾uÕàm: uà qÊàÕà uà ¡Âu Zà§ýàÊ y Êâªàªà t sàªà ÂàÑã vÂàà ñ

4. **À½»¦–** uâÀ §ýà¢ ÍuâQý oàÊà 3 §ý £qroà §ýà £Ìv i Âà §ýÊmà Ñ uà £Ìv i Âà §ýÊÂà §ýà Zàuày §ýÊmà Ñ uà Êâªàªà §ýÊÂà §ý âvu ÀÏZàáÊm §ýÊmà Ñ mà wÑ uà mà §ýàÊàwày y kà 5 wx y ¡âo§ý ÂàÑã Ñàªàà uà ktàÂà y kà 5 ÑkàÊ Ûýqu y ¡âo§ý ÂàÑã Ñàªàà uà ÀàÂàà y Àâ½»¦m â§ýuà kà y§ýªàà ñ

5. **¡qÊào §ýà yÖàu, ¡ktàÂàmãu ¥w ¡ZàÎàtÂàãu ÑàÂàà –** ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oâÂà Zà¾u§ý ¡qÊào yÖàu, ¡ktàÂàmãu ¥w ¡ZàÎàtÂàãu Ñàªàà ñ

6. **¡qÊàoà §ýà âw jàÊ½à –** (1) ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oâÂà À½»¦Âàãu Zà¾u§ý ¡qÊào §ýà âw jàÊ Zànt wªà §ý Âuàâu§ý À½»¦âo§ýàáÊuà õàÊà â§ýuà kà¥ªàà ñ

(2) ¢y ¡âoâÂàut §ý £qroà §ý ¡oâÂà ¡qÊàoà §ý ¡Âwx½à, kà j mnà âw jàÊ½à t ¡qÊào Zàâ§ýuà yâÑmà, 1973 (§ýtà§ý 2 yÂà 1974) §ý £qro vàªà Ñàªà ñ

7. **²¦àØà §ý âÂàÏ§ýàyÂà §ý âv¥ âÂàuàªàumà –** (1) ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oâÂà ¡Âwx½à u âw jàÊ½à vârm ÑàÂà qÊ âÎàÕà½à yÐnà §ý ZàoàÂà §ýà ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oâÂà â§ýyã ¡qÊào §ý âvu ¡âsuQý ²¦àØà §ýà âÂàvârm §ýÊÂà ¡àÊ ÎàÕàâ½à§ý yÐnà qáÊyÊ mnà ¢y§ý ²¦àØààwày t ZàwÎà y wâkm §ýÊÂà §ýà ¡âo§ýàÊ Ñàªàà ñ

(2) â§ýyã ÎàÕàâ½à§ý yÐnà §ýà §ýà¢ ²¦àØà, kà oàÊà 4 §ý ¡oâÂà ây÷Ààx qàuà ªàuà Ñà, ÎàÕàâ½à§ý yÐnà y âÂàÏ§ýàyÂà §ý âvu âkÈtÀàÊ Ñàªàà ñ

(3) ¥y ²¦àØà §ýà kà âÂàÏ§ýààym â§ýuà ªàuà Ñà uà ¡Âu §ýà¢ ÍuâQý kà ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oâÂà ây÷Ààx qàuà ªàuà Ñà â§ýyã ¡Âu ÎàÕàâ½à§ý yÐnà t Êà³u §ý ÕàØààào§ýàÊ §ý sãmÊ mãÂà wx §ýL ¡wâo m§ý ZàwÎà ÂàÑã âÀuà kàuªàà ñ

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से शामिल हो, जो अरुचिकर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न
3. यौन अनुग्रह की मांग
4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियां ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क ।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरुद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

आदि संबंधी अपराधन होने पर विभाग प्रमुख, निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

राज्य महिला आयोग, रायपुर (छत्तीसगढ़)
द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची

1.	श्री आई.पी. देवांगन	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
2.	श्रीमती अर्चना दीवान	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र
3.	श्री के.सी.गेन्दले	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
4.	डॉ. पी. लाजरस	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी
5.	डॉ. कविता ठक्कर	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र
6.	रिक्त (01 पद)	अतिथि व्याख्याता	वनस्पति शास्त्र
7.	रिक्त (01 पद)	अतिथि व्याख्याता	प्राणीशास्त्र
8.	रिक्त (02 पद)	अतिथि व्याख्याता	वाणिज्य
9.	रिक्त (01 पद)	अतिथि व्याख्याता	अंग्रेजी

कार्यालयीन स्टॉफ :-

1.	श्री आई.पी. देवांगन	सहायक ग्रेड 01
2.	रिक्त	सहायक ग्रेड 02
3.	मुक्ता वैष्णव	सहायक ग्रेड 03
4.	श्री ओ.पी. पाण्डेय	प्रयोगशाला तकनीशियन
5.	श्री जे.के. शुक्ला	प्रयोगशाला तकनीशियन
6.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री दिग्विजय दास महंत	प्रयोगशाला परिचारक
8.	श्री अशोक कुमार जायसवाल	भृत्य
9.	श्री रविकांत दुबे	भृत्य

--00--

Îààyҡý Lu ÂàwãÂà tÑàâwùàvu, qàvã, âkvà - §ýàÊrà (²|.ªà.)

No. : ____________

Date : ____________

ZààÅmà§ý	q½àà§ý

wªà	ST	SC	OBC	GEN	BPL

ZàwÎà ¡àwÀÂà-qØà

qàyqà¹ yà¢k
Äýà¹à âjq§ýàu

ZàwÎà §ýtà§ý : .... ¡àwÀÂà qØà §ýtà§ý ....

y§ýàu âkyt qwÎà jààÑ¥ ....

§ýÕàà âkyt ZàwÎà jààÑu ....

¡àwÀ§ý kà âwxu vÂàà jàÑmà Ñ ¡nwà âky âwxu t âwâÎà˜ã§ýÊ½à §ýÊÂàà jàÑmà Ñ -

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

01) ¡àwÀ§ý §ýà Âààt ¥w qmà :

¡) Âààt : ....

âqmà §ýà Âààt : ....

tàmà §ýà Âààt : ....

r) ²àØà §ýà Ðnàuã qmà : ÐnàÂà .... qà. ¡à.....................

âkvà .... Êà³u ....

âqÂà §ýà» ÂàÊrÊ ....

Äýàâà / tà.Âà. ....

¡àoàÊ §ýà» Âà. ....

r§ý hàmà §ýtà§ý ....

02) kÂt màÊãh (¡§ýà ¥w ÎàÊÀà t) : ....

: ....

03) kÂt ÐnàÂà : ªààt / ÎàÑÊ .... qà. ....

âkvà .... Êà³u ....

Êà˜ãu ....

04) ¨uà ¡àwÀ§ý ².ªà. §ýà Ðnàuã ââàwàyã Ñ uâÀ Ñà mà â§ýy ÐnàÂà §ýà : ....

05) kààm .... wªà : ¡kà / ¡kkà / ¡.âq.w.

06) yÊÕà§ý (uâÀ âqmà kããwm Âà Ñà) §ýà : Âààt ....

yro ....

07) âqmà / yÊÕà§ý §ýà Íuwyàu / ¡àu : .... ¡àu ....

08) âqmà / yÊÕà§ý §ýà Íuwyàu / ¡àu : ....

09) uâÀ ¡àwÀ§ý ¡Âà.kàâm / kÂàkàâm / âwtâQý kàâm / : ....
âw§ývàªà ²àØà / ².ªà. ÎààyÂÀ §ý mmãu ¡nwà jmn
ó½àã ywà t âÂàuâQý §ýt jàÊã §ýL ymàÂà Ñà mà £y§ýà
q½à âwwÊ½à mnà Zàt à½à qØà yvªÂà â§ýuà kàu ñ

10) uâÀ âqmà / yÊÕà§ý ÐnàÂààu Âà Ñà mà Ðnàuã Âààt : ....
yÊÕà§ý §ýà qÊà Âààt, qmà ¥w yro qmà ....
yro..

11) ¡âmt yÐnà §ýà Âààt âkyt -
¡ ¡ÁuuÂà â§ýuà mnà ¡ÁuuÂà §ýà wx : ....
r âwÎwâwùàvu §ýà Âààt ¥w Âààtà§ýÂà §ýtà§ý : ....

12) ¡àwÀ§ý §ýL ÎàÕàâ½â§ý Zàªààm §ýà âwwÊ½à -

§ýÕàà	£Ùàã½à §ýÊÂà §ý q½à âwâÎà˜mt ¡àÊ âwxu				âwâÎà˜mà tâÊ¹ âwxu ÐnàÂà	tà.âÎàÕàà / âw.âw.§ýà Âààt ¡àÊ ²à»ã ªà¢ âÎàÕàà yÐnàÂà
	Êàv Âà.	wx	qÊãÕààÄýv	ZààÅmà§ý		
Ñà¢ Ð§ýv yâ¹âÄý§ý¹						
10+2 ÑàuÊ y§ý½»Êã						
rã.¥. / rã.§ýàt. / rã.¥y.yã. (Zànt)						
rã.¥. / rã.§ýàt. / rã.¥y.yã. (âÕmãu)						
¡Âu						

13 ¡âmt qÊãÕàà §ýà tàÁut : ....

14 ¨uà ªàm 5 wxà t ¡àwÀ§ý §ýà ¡ÁuuÂà§ýt kàÊã ÊÑà : ....
uâÀ ÂàÑã mà §ýàÊ½à ¥w ¡wâo §ýà Ðq˜ £Ìvh â§ýuà kàu

15. ¨uà ªàm wxà t ¡àwÀ§ý Âà ¢y tÑààwùàvu t â§ýyã : ....
qàºÜ§ýt t ZàwÎà §ý âv¥ ¡àwÀÂà â§ýuà nà mnà £y
ZàwÎà ÂàÑã âÀuà ªàuà, uâÀ Ñà mà q½à âwwÊ½à Ààâku

16 ¨uà ¡àwÀ§ý ywàÊm Ñ, uâÀ Ñà mà âwwÊ½à À§ýÊ âÂàuQýà : ....
§ýL tÑààwùàvu ¡ÁuuÂà §ý âv¥ âvâhm ¡Âàtâm yvªÂà §ýÊ ñ

17 ¡. â§ýyã ÎàÕàâ½à§ý, yààѾu âwoà t Ûýâj Ñ : ....
Âàà¹§ý / §ýâwmà / §ýÑàÂàã / âjØà§ývà / yªàãm / Âà¾u / ¡Âu
r â§ýy hv t Ûýâj Ñ - : ....
Äý¹ràv / Ñà§ýL / â§ý§ý¹ / §ýr»»ã / ¹âÂày / r»ât¹Âà / ràÐ§ý¹ràv / ¥nvâ¹¨y / ¡Âu kà vàªà Ñà £y âjÓÂÑm §ýÊ ñ

yvªÂà ¡àvhà §ÿL yjã – (Àywã y v§ÿÊ qw qÊãÕàà §ÿL ¡§ÿ yjã §ÿL ²àuàZàâm yvªÂà §ÿÊ)

1. âwùàvu / tÑàâwùàvu §ÿà ²à»Âà §ÿà tv Zàtà½à qØà 2. kÂt màÊâh yroã Zàtà½à qØà 3. âÂàwày Zàtà½à qØà

4. jáÊØà Zàtà½à qØà 5. âÂàuàQÿà §ÿL Ðwã§ÿâm 6. ¡Âàyâjm kàâm / kÂàkàâm / âw§ÿvàªàmà Zàtà½à qØà / rã.qã.¥v.

7. ²Ùàây ªà¼ §ÿ mmãu ¥w jmn ó½àã §ÿt jàÊã ÑàÂà §ÿà Zàtà½à qØà 8. ZàwkÂà qØà uâÀ ¡Âu âwÎwâwùàvu y ¡àwÀ§ÿ ¡àuà Ñ ñ

9. uâÀ ªàq Ñ mà £y§ÿà Zàtà½à qØà 10. âq²»à wªà / ¡àu Zàtà½à qØà yâÑm ñ 11. ¡àoàÊ §ÿà» §ÿà Äÿà¹à§ÿàqã

12. r§ÿ ¡§ÿà£½¹ Âà. §ÿ âv¥ qày r§ÿ §ÿL Zànt qk §ÿL Äÿà¹à§ÿàqã ñ

¡àwÀ§ÿ õàÊà ZàâmÖàà

t Ðwã§ÿàÊ §ÿÊmà Ñ â§ÿ tÂà tÑàâwùàvu §ÿL âwwÊà½à§ÿà tytÐm âÂàutà ÍuwÐnà ¡à ¥w ¡àjÊ½à yâÑmà §ÿà ¡ÁuuÂà §ÿÊ âvuà Ñ mnà ZàâmÖàà §ÿÊmà Ñ â§ÿ t ¡ÁuuÂàÊm ÊÑ§ÿÊ ¡qÂà §ÿmÍuà, tÑàâwùàvu §ÿ âÂàutà ¥w ÍuwÐnà ¡à §ÿà qàvÂà §ÿÊmà ÊÑªàà mnà tÑàâwùàvu t ¡nwà £y§ÿ ràÑÊ ¥w qÊãÕàà ¡à t â§ÿyã Zà§ÿàÊ §ÿL ¡ÍuwÐnà, ¡ÂàÎàày ÂàÑãÂàmà ¥w âÑyà¾t§ÿ §ÿàuwàÑã t Zà¾uÕà uà qÊãÕà Ûÿq t §ÿà¢ sàªà ÂàÑã vªàà ñ t Zà¾u§ÿ tàtv t Zààjàu tÑàÀu §ÿ âÂà½àu §ÿà qàvÂà §ÿÿÛÿªàà ñ â§ÿyã sã qÀàào§ÿàÊã §ÿ Ûÿq t Zààjàu tÑàÀu ¡nwà £Âà§ÿ õàÊà Âàà tàâ§ÿm ZàâmâÂààouà §ÿL qw ¡Âàtâm §ÿ ârÂàà §ÿà¢ Íuu ÂàÑã §ÿÿÛÿªàà ñ tÊã ¡àÊ tÑàâwùàvu §ÿà §ÿà¢ ÎàÌ§ÿ ¡nwà ¡Âu â§ÿyã yro t §ÿà¢ oÂàÊààÎà Àu ÂàÑã Ñ mnà t uÑ iàx½àà §ÿÊmà Ñ â§ÿ tÊ âwÛÿõ ªàm wxà ¡ÂàÎààyÂà sªà, ÀÊàjÊ½à qÊãÕàà t ¡Âààjm yàoÂàà §ÿà Zàuàªà uà ÀÍuwÑàÊ ¡nwà â§ÿyã ¡Âu §ÿàÊ½à y tÑàâwùàvu / âwÎwâwùàvu uà â§ÿyã Âuàuàvu õàÊà §ÿà¢ §ÿàuwàÑã ÂàÑã §ÿL ªà¢ ñ tÂà ytÐm kÂà§ÿàÊã £qÊ À Àã Ñ, mnà £yt kr §ÿsã §ÿà¢ qáÊwmÂà Ñàªàà, t £y§ÿL yjÂàà mÊm Ñã À Àªàà ñ t uÑ iàx½àà §ÿÊmà Ñ â§ÿ â§ÿyã sã m¿u §ÿà ÂàÑã ²qàuà Ñ ¡àÊ Âà Ñã ¡y¼u kÂà§ÿàÊã Àã Ñ £qÊàQÿ ZàâmÖàà §ÿ £Ìvi Âà §ÿÊÂà §ÿL 0Ðnâm t ZàwÎà âÂàÊÐm â§ÿuà kà§ÿÊ ¡ÂàÎààyÂàà¾t§ÿ §ÿàuwàÑã §ÿ âv¥ t £ÙàÊÀàuã ÊÑªàà ñ

t .... iààxm §ÿÊmà Ñ â§ÿ tÑàâwùàvu qáÊyÊ t â§ÿyã sã ²àØà / ²àØàà §ÿ yàn Êâªàªà ÂàÑã §ÿÛÿªàà ¡àÊ Âà ¡ÂàÎààyÂàÑãÂàmà §ÿÛÿªàà ñ uâÀ £Qÿ §ÿ¼u §ÿÊÂà / Zàuày §ÿÊÂà qÊ tÊà tÑàâwùàvu §ÿà ZàwÎà âÂàÊÐm â§ÿuà kà y§ÿªàà ñ âky§ÿL q½à âkÈtÀàÊã t l qÊ Ñàªàà ñ §ÿÕàà t 75% £q0Ðnâm §ÿL ¡Âàwàumà t l tÂu Ñ mnà yàm ¡àmáÊ§ÿ ¢§ÿà¢ qÊãÕàà ¡à t §ÿt y §ÿt qàj qÊãÕàà ¡à t y0Ètâvm ÂàÑã ÑàÂà qÊ tÊà ZàwÎà âÂàÊÐm tÂàà kàw ñ

âqmà / ¡âssàw§ÿ §ÿ ÑÐmàÕàÊ ¡àwÀ§ÿ §ÿ ÑÐmàÕàÊ

âqmà uà ¡âssàw§ÿ §ÿà iàx½àà qØà

t uÑ Zàtàâ½àm §ÿÊmà Ñ â§ÿ tÊ qØà / qØàã qàÌu õàÊà ¢y ¡àwÀÂà qØà t Àã ªà¢ kÂà§ÿàÊã y¼u Ñ ñ âwÎwâwùàvu âwwÊà½à§ÿà §ÿ âÂàutà ¥w ÍuwÐnà ¡à §ÿà tÂà ¡ÁuuÂà §ÿÊ âvuà Ñ ñ t tÑàâwùàvu t £y§ÿ ¡ÁuuÂà §ÿàv t £q0Ðnâm mnà £y§ÿL Zàªààm ¡àÊ ÍuwÑàÊ §ÿ yro t âwÎàx ÁuàÂà Àªàà mnà ¢y§ÿ âv¥ tÂà q½à £ÙàÊÀàuã ÊÑm Ñu tÑàâwùàvu §ÿà q½à yÑuàªà Àmà ÊÑªàà ¡àÊ tÑàâwùàvu §ÿà Àu ytÐm ÎàÌ§ÿ §ÿL ÊààÎà §ÿ sªàmàÂà §ÿà £ÙàÊÀàuã t l qÊ Ñàªàà ñ

âqmà / ¡âssàw§ÿ §ÿ ÑÐmàÕàÊ

iàx½àà qØà ¥§ÿ âwxu t qÊ§ÿ ²àØà / ²àØàà ¡à §ÿ âvu

t .... qØà / qØàã óã .... tÑàâwùàvu §ÿà ²àØà ....§ÿ âvu ¡Ðnàuã Ûÿq y ZàwÎà Ñm ¡àwÀÂà §ÿÊmà Ñ ¨uàâ§ÿ §ÿÕàà .... t tÊã .... âwxu t qÊ§ÿ qÊãÕàà iààxm §ÿL ªà¢ ñ

uâÀ ¡ªàààtã qÊ§ÿ qÊãÕàà t ¡ÂàÙàã½à Ñà kàmà Ñ mà tÊà Âààt §ÿà¹ §ÿÊ uÑ ¡ÐnàuãZàwÎà ÊÀÀ §ÿÊ âÀuà kàuªàà ¡àÊ ZàwÎà Ñm kà ÊààÎà ktà §ÿÊ ÊÑà Ñ kÂm â§ÿuà kàu ñ t ¡qÂàã ÎàÌ§ÿ ÊààÎà wàqy qàÂà §ÿà ¡âiàà§ÿàÊã ÂàÑã ÊÑªàà ñ

¡àwÀ§ÿ §ÿà q½à ÑÐmàÕàÊ

§ýwv §ýàuàvuãÂà £quàªà §ý âvu

¡àwÀÂà qØà §ýL ytÐm Zàâwâ˜uà §ýL kàj §ýÊ vã ªà¢ mnà £ÂÑ ºã§ý qàuà ªàuà ñ £yt âÂàÈÀàâvâhàm ¡q½àmà Ñ mnà âÂàÈÀààvâhm Zàtà½à qØà yvªÂà ÂàÑã â§ýu ªàu Ñ ñ

1. ....

2. ....

¡àwÀÂà qØà ZààÀm §ýÊÂà wàv âvâq§ý / §ýt jàÊã §ý ÑÐmàÕàÊ

ZàwÎà yâtâm §ý yuàk§ý ZààÁuàq§ý §ýL ¡ÂàÎàyà

1. ¡àwÀ§ý §ýà âÂàÈÀàâvâhm §ýÕàà ¥w âwxuà t ZàwÎà §ýL ¡ÂàÎàyà §ýL kàmã Ñ ñ

   §ýÕàà ....

   âwxu ....

2. ¡àwÀ§ý §ýà âÂàÈÀàâvâhm Zàâmroà qÊ ZàwÎà âÀuà kàu ñ

   ¡. âwxu qáÊwØàÂà r. ¡àwÀÂà qØà §ýL âÂàÈÀà0vâhm ¡àqâm qÊã §ýL kàu ñ

   ....

yuàk§ý

ññ ¡àÀÎà ññ

¡àwÀ§ý §ýà qÊãÕàà .... t âÂàÈÀààvâhm Zàâmroà §ý ¡oãÂà ZàwÎà âÀuà kàmà Ñ à

¡àwÀÂà qØà ¡Ðwã§ým â§ýuà kàmà Ñ ñ

Zààjàu

¡àwÀÂà qØà §ý yàn Ûýqu ....

Êyãà §ýtà§ý .... âÀÂàà§ý .... õàÊà ZààÀm Ñ¥ à

ÎàÌ§ý âvâq§ý

संलग्न – 1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं ....(छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/.. **शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाली, जिला – कोरबा** (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की. उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षड्यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूँगी जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा/बनूँगी जो कंडिका–3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न हीं रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक............................ माह.......................... वर्ष...................................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....
कक्षा ....
मो.नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) .... (दिन)..........................(माह)..................(वर्ष)...............

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्न – 2

माता–पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती ....(माता–पिता/अभिभावक का नाम) श्री/कु. ....(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश,पंजीयन/नामांकन सहित) शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।

3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका – 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –

   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।

   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न हीं प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम...................................
पता...................................
फोन/मोबाइल नंबर.................

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)........................... (दिन)..................(माह)................ (वर्ष)...................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर